

## आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 पर कार्यशाला का आयोजन

23 अगस्त 2021 को विशेष विद्यालय, राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान के टीचिंग स्टाफ के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अतः इस अधिनियम के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष विद्यालय की प्राचार्या डॉ. वाणी रत्नम ने बताया की इस अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न सुविधाओं को यहां दिव्यांग व्यक्तियों को सुलभ कर उनकी जरूरतों को पूरा की जा रही है। इस कार्यशाला के समन्वयक स्पेशल एजुकेटर डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ एवं सुश्री अल्पना गौतम थे।



प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण।

## आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 पर कार्यशाला का आयोजन

### दिव्यांग जगत @ चंडीगढ़।

राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान (ग्रीड), सेक्टर 31 के द्वारा आज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न स्पेशल एजुकेटर एवं चोकेरानल इंस्ट्रक्टरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का शुभारंभ संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा की इस अधिनियम का ज्ञान सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ताकि, वे अभिभावकों तक इसमें संबंधित सभी जानकारी सारलता पूर्वक पहुंचा सकें।

कार्यशाला के रिमोट परसेन डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की विभिन्न धाराओं का सविस्तर उद्घेष्ट किया और उन्होंने बताया कि वर्तमान में 18 वर्ष तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को अनुकूलित छात्रावरण में निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही,

सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा अनिवार्य है। इसके अलावे दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम, सरसल संघर्ष, मानवीय अपात स्थिति और प्राकृतिक उपपदाओं जैसे कोविड-19 इत्यादि की स्थितियों में भी समान सुरक्षा और

है। इसमें ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, एस एल डी, मेंटल इलेनिम एवं बहु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत पद अग्रहित किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट मिटी चंडीगढ़ में वर्तमान में पब्लिक



संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगी की सभी मतदान केंद्र एवं चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्रियां दिव्यांगों के पहुंच के दायरे में हो, दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान

सेवाओं को ऊत बनाने की दृष्टि से चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के अनुकूल पदों की पहचान की करना, सभी विभागों के अग्रोक्षक एवं सहायकों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 संबंधित एक दिवसीय

प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, स्वतंत्र रूप से ग्रन्थ उपयुक्त (दिव्यांगजन) की नियुक्ति, विशेष कोर्ट की व्यवस्था करना, समाज कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु पारिवारिक आश्रय में छूट प्रदान करना एवं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर चंडीगढ़ के प्रतिभावाकन दिव्यांगों को पुरस्कृत करना इत्यादि कार्य किए जाने की आवश्यकता है।


संस्थान के विशेष विद्यालय की प्राचार्या डॉ वाणी रत्नम ने बताया कि हमारे यहां इस अधिनियम से संबंधित लगभग सभी सुविधाएं दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जा रही है। हम यहां 18 वर्ष तक के सभी दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क विशेष शिक्षा एवं अधिगम सामग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ एवं सुश्री अल्पना थे।

दिव्यांग जगत, जयपुर में छपी खबरे

# दिव्यांगजन अधिकार पर कार्यशाला

चंडीगढ़। राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान (ग्रीड)-31 ने मंगलवार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 पर ऑनलाइन कार्यशाला कराई। इसमें विभिन्न स्पेशल शिक्षकों और वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों ने हिस्सा लिया। इसका शुभारंभ संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रीति अरुण ने किया। कार्यशाला के वक्ता डॉ. हेमंत कुमार चंद्रचूड़ ने बताया कि वर्तमान में 18 वर्ष तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को अनुकूलित वातावरण में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को जेखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोविड-19 आदि की स्थितियों में भी समान सुरक्षा और संरक्षण देने का प्रावधान है। व्यूरो

अमर उजाला समाचार पत्र में छपी खबरें।



प्रतिभागियों का ऑनलाइन दृश्य